(292) (168)

निग0/3329/2018/सीधी/भू.रा0

## न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा
प्रस्तुत 30-5-18

प्रचलित / विलोपित

1. ददिया यादव तनय देवशरण यादव उम्र 63 वर्ष
2. बब्बू यादव तनय देवशरण यादव उम्र 58 वर्ष
3. लाला तनय देवशरण यादव उम्र 48 वर्ष
4. शिवचरण यादव तनय देवशरण यादव उम्र 53 वर्ष (फौत)
5. देवशरण यादव तनय कुहराई यादव उम्र 88 वर्ष(फौत)

सभी निवासी ग्राम कोल्दहा थाना व तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.)

................ आवेदकगण

विरुद्व

1. श्रीमती पार्वती देवी उम्र 63 वर्ष पत्नी द्वारिका प्रसाद गुप्ता पेशा गृह कार्य,निवासी ग्राम चुरहट हाल मुकाम कोल्दहा थाना तहसील चुरहटजिला सीधी(म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, सीधी जिला सीधी (म.प्र.)

........अनावेदकगण

निगरानी धारा अन्तर्गत 50म.प्र.भू.राजस्व स.1959
निगरानी विरुद्व आदेश अधीनस्थ न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी (म0प्र0)
द्वारा प्रकरण क. 192/अपील/2016–17 में पारित
आदेश दिनांक 20/04/2018
आदेश प्राप्ति दिनांक 26/04/2018

मान्यवर,

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:–

यह कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 के द्वारा आराजी खसरा न0 57 नया बन्दोबस्ती खसरा न0 186/0.98 एकड के अंश भाग 0.35 एकड स्थित ग्राम कोल्दहा तहसील चुरहट जिला सीधी (म.प्र.) के द्वारा पारित किये गये नामान्तरण आदेश जो सिविल न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी के परिपालन में किया गया था, के विरुद्व अवधि वाधित अपील प्रस्तुतकर नामान्तरण आदेश दिनांक 30/04/2013 को निरस्त करनें बावत सहायता चाही गयी थी, जिसमें आवेदकगण के द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, कि प्रकरण सिविल न्यायालय मे लम्बित है और माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा द्वितीय अपील क्र. 504/15 जो इसी वादग्रस्त आराजी से सम्बंधित है, के सम्बंध मे यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है, इसलिये प्रकरण मे सुनवाई करने की अधिकारिता अथवा किसी भी प्रकार का आदेश पारित करने

(168)

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 3329/2018/सीधी/भू-रा0 जिला सीधी

राधिका यादव वगैरह विरूद्ध पार्वती देवी

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16-1-19 | 1. आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील चुरहट के प्रकरण क्रमांक 192/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.04.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30.03.19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।<br><br>सदस्य | |

इसलिये प्रकरण मे सुनवाई करने की अधिकारिता अथवा किसी भी प्रकार का आदेश पारित करन